

प्रेषक,

उमेश चन्द्र पाण्डे-II,
विशेष न्यायाधीश ई0सी0 एक्ट,
बाराबंकी।

सेवा में,

महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा: श्रीमान जनपद न्यायाधीश,
बाराबंकी।

विषय: वित्तीय वर्ष 2018-19 व 2019-20 से सम्बन्धित सम्पत्ति विवरण के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।
महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि उक्त वित्तीय वर्षों का सम्पत्ति विवरण मेरे द्वारा जान-बूझकर प्रेषित करने में कोई विलंब कारित नहीं किया गया बल्कि कोविड -2019 महामारी में अधिकतर सरकारी कार्यालय कई महीने तक बंद थे और मेरे पिताजी का देहान्त हो जाने के कारण उत्तराधिकार में मिलने वाली सम्पत्तियों के विवरण उपलब्ध नहीं हो सके जिसके कारण समय से सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत नहीं किया जा सका। उत्तराधिकार में प्राप्त होने वाली सम्पत्तियों के विवरण विभिन्न बैंक, योजनाओं में किए गए निवेशित धनराशि राजस्व कार्यालयों से अभिलेखों को प्राप्त करने में विलम्ब हुआ।

तदनुसार आख्या माननीय महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

सादर!

दिनांक: 08.11.2023

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

Umesh Chandra Pandey

(उमेश चन्द्र पाण्डे-II)

विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट)

बाराबंकी।